फर्द अहकाम

मोहनलाल बनाम आनन्द राठौड़

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 25/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	09/09/25	कुरेजात रिपोर्ट की प्रस्तावित प्रविष्टी व खंड सं. 2 के अन्तर्गत बजौर हाल काबिज खातेदार काश्तकार के नाम का नाम व हिस्सा प्रदर्शित किया गया है। प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही आदेश पूर्व में पारित है। कुरेजात रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रदर्शित होता है कि प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट विधिसम्मत रूप से तैयार कर प्रस्तुत की गई है। जिसके बाबत किसी भी पक्षकार की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अत: पत्रावली वास्ते उचित आगामी आदेश दिनांक 18/09/25 को पेश हो। sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	18/09/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी की ओर से प्रार्थनापत्र बाबत कुरेजात प्रस्ताव में अंकित सहकाश्तकार बाबूलाल पुत्र नाथूलाल को पक्षकार संयोजित कर सुनवाई का अवसर दिया जाकर पत्रावली में आगामी कार्यवाही किये जाने हेतु पेश किया गया। शामिल मिसल। प्रार्थी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि --- P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

मोहनलाल बनाम आनन्द राठौड़

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

25/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/09/25	प्रकरण में कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर कुरेजात रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत हुआ है कि कुरेजात रिपोर्ट की प्रस्तावित प्रविष्टी में वादी के हिस्से के स्थान पर शामिल व्यक्ति बाबूलाल पुत्र नाथूलाल का नाम प्रदर्शित है। जिससे उक्त बाबूलाल पुत्र नाथूलाल को प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर सुनवाई का अवसर दिया जाकर आगामी कार्यवाही किया जाना उचित व आवश्यक है। अत: प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर सहकाश्तकार बाबूलाल पुत्र नाथूलाल को प्रकरण में संयोजित किया जाने का आदेश प्रदान किया जावे। इसके प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली वास्ते उचित आदेश दिनांक 29/09/25 को पेश हो। sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
29/09/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित। बहस अधिवक्ता वादी के तथ्यों पर मनन किया व प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र, कुरेजात रिपोर्ट के तथ्यों के अवलोकन व समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि स्वयं वादी द्वारा भूमि विभाजन का sd/- --. P.T.O.	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

मोहनलाल बनाम डॉ. आनन्द कत्तार

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 25/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	29/09/25	हस्तगत वाद प्रतिवादी-1 के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाने के पश्चात अपने अधिकारिक हिस्से की भूमि का विक्रय वाद विचारण के दौरान ही किया जा चुका है जिससे वादी का अब कोई वादाधिकार शेष नहीं रहा है। तथा साथ ही क्रेता पक्षकार द्वारा भी भूमि क्रय किए जाने के क्रम में (बावजूद प्रकरण की जानकारी के) प्रकरण में विधिवत पक्षकार स्थापित किए जाने के संदर्भ में कोई समुचित कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की गई है। ना ही स्वयं वादी की ओर से पूर्व अथवा पश्चात भी उक्त संदर्भ में कोई विधिक प्रक्रिया क्रियान्वित / प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी पक्षकार के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही आदेश पूर्व में पारित होने के उपरान्त उक्त संदर्भ में अथवा वादी की ओर से भूमि विक्रय के संदर्भ में कोई कथन / आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार प्रकरण में स्थापित किसी भी पक्षकार द्वारा स्वयं कोई प्रभावी कार्यवाही अथवा प्रभावित पक्षकार (क्रेता) द्वारा स्वयं प्रस्तुत नहीं की गई है तथा वादी का अब कोई वादाधिकार शेष नहीं है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादी आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। बाद तकमील ... नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर